न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर , मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
294 / 2021	26.11.2021	14.06.2023

/ / उनवान / /

1. बलवान पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1. केला देवी उर्फ कमलेश देवी पत्नी स्व0 अजीत जाति अहीर निवासी हाल पत्नी रणवीर उर्फ रणधीर निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सतीश पुत्र अजीत
3. राजेन्द्र पुत्र अजीत जातियान अहीर निवासियान माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
4. मंजू पुत्री अजीत जाति अहीर निवासी पत्नी पवन निवासी नाहरखेडा तहसील मुण्डावर, अलवर।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय ,मुण्डावर, अलवर।
6. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर।
7. शाखा प्रबन्धक, बी0आर0के0जी0बी0 शाखा सोडावास।

:– प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकराररहक मय दुरस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी।

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव – वकील वादी
श्री गंगाराम पटेल – वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 14.06.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर 179 / 0.13, 180 / 0.10, 115 / 0.08, 195 / 0.01, 196 / 0.27, 333 / 0.04, 336 / 0.11, 379 / 0.13, 432 / 0.39, 487 / 0.38, 516 / 0.25, 636 / 0.22, 639 / 0.22, 701 / 0.14, 74 / 0.29 है0 वाके ग्राम माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के आला मौरूसी जगराम से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। सजरा खानदान पेश है। परन्तु प्रतिवादीगण के नाम गलत विरासत दर्ज की गई है। मृतक जगराम के तीन पुत्र थे। वादी स्वयं दूसरा सुबेसिंह एव तीसरा अजीत। वादी बलवान एवं अजीत शादीसुदा एवं मृतक सुबेसिंह की शादी नहीं हुई थी। मृतक सुबेसिंह तपेदिक का मरीज था इसलिए सुबेसिंह बीमार रहने के कारण स्वयं ने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी मृत्यु नजदीक मानते हुए शादी करने से मना कर दिया था। इसलिए सुबेसिंह ने कभी कोई शादी नहीं की लावल्द लाऔरत फौत हुआ। सुबेसिंह की फौतगी के बाद सुबेसिंह की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ल0 04 ने 1 / 2, 1 / 2 भाग में बां[illegible] मौके पर काबिज काश्त कर रहे है। मौके पर अब तक 1 / 2 भाग पर वादी के कब्जे पर कोई विवाद नही [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादीगण अब झगडा [illegible] आराजी उपरोक्त सालिम के 1 / 2 भाग पर अब तक शान्तिपूर्वक कब्जा [illegible] स0 01 के गर्भ से अजीत पुत्र जगराम यानि वादी के भाई से हुई थी। अजीत [illegible] प्रतिवादी सं0 01 सात एक पुत्र सतीश व एक पुत्री मंजू ने जन्म लिया था एवं अजीत की मृत्यु के सम[illegible] मृत्यु के करीब दो माह माह की गर्भवती थी। अजीत की मृत्यु दिनांक 09.01.1994 को हुई। अजीत की मृत्यु के करीब दो माह बाद राजेन्द्र का जन्म हुआ था। अजीत की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी सं0 01 के मायके वालो ने मृतक

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

पिता जगराम से बात की कि कैला को दूसरी जगह नाता करना पडेगा अन्यथा यह कहीं जायगी, तो आपकी और हमारी बदनामी होगी, इससे अच्छा रहेगा कि सुबेसिंह से नाता कर दिया जाव इस पर चर्चा चलाई परन्तु सुबेसिंह ने नाता करने से मना कर दिया इसके लिए मृतक पिता जगराम ने भी सुवेसिह को समझाया कि घर की औरत है घर मे रह जायगी इसके तीन-तीन बच्चे हो गये इनको छोडकर चली गई तो हम सब को जिम्मेदारी उठानी होगी इसलिए तू कैला से नाता कर ले। परन्तु सुवेसिह ने साफ मना कर दिया कि मेरा अब जीने का कोई भरोसा नहीं है, बीमारी से मै तंग आ चुका हू। काफी ईलाज के बाद भी रोग बढता गया है। जिससे अब मुझे लगता है कि कुछ दिन ही बाकी है। मै अब गृहस्थी जीवन के लायक नहीं रहा हू और नाता के लिए साफ मना कर दिया। फिर भी पिता जगराम कैला के मायके वालो को कुछ और समय रूकने को कहा कि कुछ दिनो मे मै सुवेसिह को और समझाता हू अगर मान गया तो बात बनी रह जायगी, इस पर कैला के मायके वाले मान गये परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 कैला स्वयं ही अपनी सांठ-गांठ करते हुए सन 1995 में दीपावली के तीन दिन बाद घर से गायब हो गई। इसपर हम सभी परिवारवालों ने प्रतिवादी सं0 01 को तलाश किया, रिश्तेदारियों मे भी तलाश किया परन्तु पता नहीं चला, करीब तीन माह बाद पता चला कि प्रतिवादी स0 01 ग्राम हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में रणवीर उर्फ रणधीर से नाता (पुनर्विवाह) कर लिया और प्रतिवादी स0 01 रणवीर उर्फ रणधीर के साथ बतौर पत्नी रह रही है। उस पर परिवारवाले एवं रिश्तेदार हाडाहेडी गये और कहा कि यह एक छोटा सा बच्चा छोडकर आ गई इस छोटे से बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, आप वापिस घर चलो, इसपर प्रतिवादी स0 01 ने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं है ना मै बच्चों को और तुम्हे जानती हू, मेरा अब उस घर से व बच्चों से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बाद से प्रतिवादी सं0 01 बदस्तूर ग्राम हाडाहेडी में रणवीर उर्फ रणधीर की पत्नी के रूप मे रह रही है तथा ग्राम हाडाहेडी में अपना नाम केलादेवी से बदलकर कमलेश देवी लिखा रखा है। प्रतिवादी स0 01 चतुर एवं चालाक किस्म की औरत है। अजीत जनवरी 1994 में फौत हुआ और राजेन्द्र मार्च 1994 में जन्मा है यानि अजीत की मृत्यु के दो माह बाद राजेन्द्र का जन्म हुआ है, राजेन्द्र अजीत का पुत्र है। प्रतिवादी सं0 01 सन् 1995 में दीपावाली से तीन दिन बाद घर छोडकर चली गई और हाडाहेडी मे रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र हरद्वारीलाल जाति अहीर से शादी कर ली और तब से जनवरी 2021 तक ग्राम हाडाहेडी में पत्नी के बतौर रह रही है। सुबेसिंह दिनांक 27.12.1999 को फौत हुआ एवं मृतक पिता जगराम अक्टूबर 2011 में फौत हुआ। **आराजी मुतनाजा पिता जगराम से विरासत में पक्षकारान् को प्राप्त होनी है परन्तु जिस दिन उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् को विरासत प्राप्त हुई उस दिन प्रतिवादी सं0 01 इस परिवार की सहदाईक के रूप में सदस्य नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी सं0 01 ने 1995 में दूसरा विवाह कर लिया था** और वादी के परिवार को त्याग दिया था इसलिए मृतक जगराम की विरासत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थी। अजीत की मृत्यु पर यदि प्रतिवादी सं0 01 जरिये अजीत अपने शेयर की मांग करती या विरासत के रूप में अनुतोष चाहती तो अजीत के हिस्से मे से 1/4 भाग की अधिकारिणी ही थी क्योंकि अजीत के वारिसान में प्रतिवादी सं0 01 ल0 04 विधिक वारिसान है, इस पर प्रतिवादी सं0 1, 1/16 भाग ही प्राप्त कर सकती थी, वादी के पिता जगराम अक्टूबर 2011 में फौत हो गया ओर प्रतिवादी सं0 1 को आराजी में अधिकार अजीत की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुये थे। अजीत की मृत्यु के दिन अजीत के हिस्से में ही हित निहित थे। प्रतिवादी सं0 01 की नजर विवादित आराजी पर हमेशा रही है कि जब राजेन्द्र विद्यालय जाने लगा तो इसके विद्यालय रिकॉर्ड मे वल्दीयत अपने बलबूते पर सुबेसिंह लिखा दिया जबकि राजेन्द्र अजीत का पुत्र है जो अजीत की मृत्यु के दो माह बाद पैदा हुआ था, जिसका सुबेसिंह [illegible] ना ही सुवेसिह से कोई तालूक राजेन्द्र प्रतिवादी एवं प्रतिवादी स0 01 का रहा [illegible] सं0 01 ने सुवेसिह से कभी नाता (पुनर्विवाह) नहीं किया ना कभी [illegible] सुवेसिह के नुत्फे से कोई संतान पैदा हुई, सुबेसिंह से कोई [illegible] प्रश्न नहीं उठता है। अजीत की फौतगी के दिन प्रतिवादी स0 01 [illegible] व इस गर्भ से पैदा हुई संतान ही राजेन्द्र है, जिसे गलत रूप से सुबेसिंह का पुत्र अंकित किया [illegible] वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत इंतकाल भी दर्ज नहीं हो रहा था व अजीत के बडे पुत्र सतीश की शादी हुई

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

थी एव दूसरे छोटे पुत्र राजेन्द्र की शादी नही हुई, जो शराबी किस्म का व्यक्ति है। राजेन्द्र शराब के नशे मे रहने के कारण एव अजीत का बडा पुत्र सतीश अर्शा करीब 10-11 साल से पत्नी सहित गायब रहने के कारण प्रतिवादी स0 01 ने विवादित आराजी को हडपने के लिए हाडाहेडी से ग्राम माजरी खोला मे आने लगी और मेरे मृतक पिता जगराम की विरासत दर्ज बिना साक्ष्य और सबूत के, बिना हम पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिये बाला-बाला प्रतिवादी सं0 01 ने सुबेसिंह की आराजी को फर्जी तरीके से राजेन्द्र को सुबेसिंह का पुत्र दिखाते हुए प्रतिवादी स0 01 स्वयं को पत्नी दर्शाते हुए सुबेसिंह के हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा लिया। श्रीमान तहसीलदार ने उक्त आदेश बिना साक्ष्य सबूत एवं बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये मनमाने ढंग से बिना किसी जांच के आदेश पारित किये है, इस प्रकार एकपक्षीय आदेश न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आते है। आदेश प्रारम्भतः शून्य प्रभाव रखता है। प्रकरण में खातेदारी का निर्धारण साक्ष्य व सबूत के आधार पर नियमित वाद के जरिये ही किया जा सकता है। इंतकाल के जरिये पक्षकारान के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। आराजी मुतनाजा मे से सुबेसिंह के हिस्से की विरासत जरिये राजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 01 के नाम गलत दर्ज की है। राजेन्द्र अजीत का पुत्र है और प्रतिवादी सं0 01 अजीत की पत्नी थी, जो वर्तमान मे सन् 1995 से रणवीर उर्फ रणधीर जाति अहीर निवासी हाडाहेडी की पत्नी है एवं पिता जगराम अक्टूबर 2011 में फौत हुये थे रणवीर अभी जीवित है। अब प्रतिवादी सं0 01 आराजी को हडपने की नीयत से माजरी खोला आने लगी है। प्रतिवादी सं0 01 के सुबेसिंह से कोई संबंध पत्नी के रूप या रखैल के रूप में नहीं रहे है। राजेन्द्र अजीत की जाईन्दा संतान है इसलिए आराजी मुतनाजा में सुबेसिंह के हिस्सा 1/3 में से वादी का 1/2 भाग एवं प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 का 1/2 भाग जरिये विरासत प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए वादी को आराजी मुतनाजा में सुबेसिंह का हिस्सा 1/3 में से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 को एवं इस हद तक प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे, आदि-आदि का अंकन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी डिक्री किया जाकर वादी के हिस्से तक सुबेसिंह के 1/3 हिस्से का 1/2 भाग को बैंक ऋण मुक्त घोषित किया जावे एवं ऋण प्रतिवादीगण के हिस्से से वसूले जाने के आदेश फरमाये जावे तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजियात् को रहन, बैय मुंतकिल न करे, मिन वादी को बेदखल ना करे, ना कोई निर्माण करे, ना वादी के कब्जेकाश्त एवं उपयोग-उपभोग में मजाहमत पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 01, 02, 04, 06, 07 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 04 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा पेश किया एवं वादी के वाद के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावे का सारतः रहा कि वादी ने मिन प्रतिवादी सं0 03 को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर दावा दायर किया है, जो चलने योग्य नहीं है। अजीत की औरत केला देवी थी और अजीत के नुत्फे से एक लडका सतीश और एक लडकी मंजू पैदा हुये थे उसके बाद अजीत फौत हो गया, अजीत के फौत होने के बाद विरासत में केलादेवी को आराजी प्राप्त हुई, उसके बाद केला देवी सुबेसिंह के साथ रहने लगी और बतौर पत्नी रहकर राजेन्द्र पैदा हुआ, उसके बाद सुबेसिंह फौत हो गया, जिस कारण बतौर पत्नी सुबेसिंह की विरासत प्राप्त हुई आदि-आदि अंकित करते हुए वाद वादी मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण मे निम्नानुसार तनकियात कायम किये ...

1. आया वाद मे विवादित आराजी खानदानी है जो वादी एव प्रतिवा... जगराम से विरासतन प्राप्त हुई है। —जिम्मे वादी
2. आया वादी का भाई सुबेसिंह लावल्द लाऔरत ...
3. आया वादी सुबेसिंह के हिस्से मे से 1/2 भा... घोषणा कराने का अधिकारी है। —जिम्मे वादी
4. आया अजीत पुत्र जगराम की फोतगी पर प्रति0 सं0 01 ने दीगर व्य... निवासी हाडाहेडी तह0 मुण्डावर से पूनः विवाह कर लिया था। —जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

5. आया वादी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के 1/2 भाग तक हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। -जिम्मे वादी

6. आया प्रतिवादी सं0 01 ने अजीत की मृत्यु के बाद सुबेसिंह से नाता कर लिया था, सुबेसिंह व केला देवी के नुत्फे से राजेन्द्र पैदा हुआ है। –जिम्मे प्रतिवादी

7. अन्य दादरसी

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श–1, नकल इंतकाल सं0 830 प्रदर्श–2 एवं परिवार राशन कार्ड रणधीर पुत्र हरद्वारीलाल निवासी हाडाहेडी, मतदाता सूची वर्ष 2014 पंचायत वार्ड 15 ग्राम हाडाहेडी, मृत्यु प्रमाण पत्र अजीत पुत्र जगराम, मृत्यु प्रमाण पत्र सुबेसिंह पुत्र जगराम की छायाप्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बलवान पी0डब्ल्यू 01, मंजू पुत्री अजीत पी0डब्ल्यू 02 पेश किये है, जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के आला मौरूसी जगराम की रही है तथा जगराम के तीन पुत्र क्रमशः बलवान, सुबेसिंह, अजीत रहे है तथा बलवान व अजीत शादीशुदा थे एवं सुबेसिंह की शादी नहीं हुई थी। सुबेसिंह तपेदिक का मरीज रहा था, बीमारी रहने के कारण स्वयं सुबेसिंह ने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मृत्यु नजदीक मानते हुए शादी से मना कर दिया था, अजीत की मृत्यु दिनांक 09.01.1994 को हुई थी, प्रतिवादी संख्या 01 की शादी वादी के भाई अजीत से हुई थी, अजीत की मृत्यु से पूर्व एक पुत्र सतीश व पुत्री मंजू ने जन्म ले लिया था तथा तीसरी संतान अजीत की मृत्यु के समय पत्नी प्रतिवादी सं0 01 के गर्भ में सात महीने का था, जो दो माह बाद जन्म हुआ, जिसका नाम राजेन्द्र रहा है अभिकथन करते हुए वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सन् 1995 में दीपावली के तीन दिन बाद प्रतिवादी सं0 01 ने ग्राम हाडाहेडी के रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र हरद्वारीलाल अहीर से नाता (पुनर्विवाह) कर लिया था, वादी का भाई सुबेसिंह जो लाऔलाद, बिलाऔरत रहा था की मृत्यु दिनांक 27.12.1999 को हुई थी। वादी के पिता जगराम की मृत्यु अक्टूबर 2011 में हुई थी। आराजी मुतनाजा पिता जगराम से विरासत में पक्षकारान् को प्राप्त होनी थी परन्तु जिस दिन उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् को विरासत प्राप्त हुई, उस दिन प्रतिवादी सं0 01 इस परिवार की सहदायिका के रूप में सदस्य नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी सं0 01 ने सन् 1995 में रणवीर उर्फ रणधीर पुत्र हरद्वारीलाल जाति अहीर निवासी हाडाहेडी से दूसरा विवाह कर लिया था और वादी के परिवार को त्याग दिया था व वादी का पिता जगराम की फौतगी अक्टूबर 2011 में हुई थी, इसलिए प्रतिवादी सं0 मृतक जगराम की विरासत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थी। आराजी मुतनाजा में अजीत की मृत्यु पर यदि प्रतिवादी सं0 01 जरिये पत्नी अजीत अपने शेयर की मांग करती या विरासत के रूप में अनुतोष चाहती तो अजीत के हिस्से में से 1/4 भाग की अधिकारिणी ही होती, क्योंकि अजीत के वारिसान प्रतिवादी सं0 01 ल0 04 विधिक वारिसान है, प्रतिवादी सं0 01 की नजर विवादित आराजी पर हमेशा रही है कि जब राजेन्द्र विद्यालय में जाने लगा तो, विद्यालय रिकॉर्ड में वल्दियत अपने बल–बूते पर सुबेसिंह लिखा दिया, जबकि राजेन्द्र अजीत [illegible] कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहा नाही सुबेसिंह से तालुक राजेन्द्र प्रतिवादी व केला[illegible] सं0 01 का रहा है। प्रतिवादी सं0 01 ने सुबेसिंह से कभी नाता (पुनर्वि[illegible] के साथ पत्नी के [illegible] रही, ना ही सुबेसिंह के नुत्फे से कोई संता[illegible] जवाब में भी [illegible] किया है कि अजीत के फौत होने के बाद विरासत में केलादेवी को आराजी को प्राप्त हुई तथा [illegible] बाद सुबेसिंह के साथ रहने लगी व सुबेसिंह की फौतगी पर सु[illegible]ह की विरासत प्राप्त हुई, जबकि वादी के पिता जगराम की फौतगी वर्ष 2011 में हुई है, उसके बाद एवं प्रतिवादी सं0 01 द्वारा हाडाहेडी में वर्ष 1995 में ही पुनर्विवाह कर लिये जाने व आज तक व 1995 से आज तक पत्नी के रूप मे हाडाहेडी में निवास करने की स्थिति में प्रतिवादी सं0 01 व 03 का सुबेसिंह के हक हिस्से से कोई हक अधिकार नहीं है अभिकथन करते हुए आराजी मुतनाजा में सुबेसिंह के हिस्सा 1/3 में से वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

1/2 भाग एव प्रतिवादी सं0 02 ल0 04 का 1/2 भाग जरिये विरासत प्राप्त करने का अधिकारी है। आराजी मुतनाजा मे से वादी को सुबेसिंह का हिस्सा 1/3 मे से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 02 ल0 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी के उक्त हिस्से की हद तक राजस्व रिकार्ड मे अंकित प्रतिवादीगण के नाम हो रहे अंकन को कलमजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर लिये गये बैंक ऋण बाबत वादी के हिस्से तक सुबेसिंह का हिस्सा 1/3 मे से 1/2 भाग से बैंक ऋण मुक्त घोषित किया जावे एवं ऋण प्रतिवादी के हिस्से से वसूल जाने के आदेश फरमाये जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात् का रहन, बैय से मुन्तकिल न करे, वादी को बेदखल न करे, ना वादी के कब्जेकाश्त एव उपयोग–उपभोग मे मजाहमत पैदा न करे, का निवेदन रहा।

ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी सं0 3 ने दौराने बहस वाद पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब दावे के जिम्मनों को दौहरते हुए अभिकथन किया कि आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये विरासत मृतक पिता जगराम से प्राप्त हुई है। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर दावा दायर किया है, अजीत मौरूसे आला जगराम का पुत्र रहा है तथा अजीत की पत्नी केलादेवी थी, अजीत के फौत होने के बाद विरासत में केलादेवी को आराजी प्राप्त हुई है, उसके बाद केलादेवी सुबेसिंह के साथ रहने लगी और बतौर पत्नी रहकर राजेन्द्र पैदा हुआ, उसके बाद सुबेसिंह फौत हो गया जिस कारण बतौर पत्नी सुबेसिंह की विरासत प्राप्त हुई, अभिकथन करते हुए वादी का वाद खारिज योग्य है, खारिज फरमाये जावे का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

1. आया वाद मे विवादित आराजी खानदानी है जो वादी एवं प्रतिवादी को आला मोरूषी जगराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है, जिस हेतु वकीलवादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं दौराने बहस किये गये अभिकथन एवं वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श–1, नकल इंतकाल सं0 830 प्रदर्श–2 जिसके मुताबिक वादी के पिता जगराम पुत्र श्योनारायण की फौतगी पर विवादित आराजी का विरासत इंतकाल दर्ज व मंजूर हुआ है, इस प्रकार से विवादित आराजियात् खानदानी होने के बाबत वादी ने उक्त प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेज यथा इंतकाल विरासत के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

2. आया वादी का भाई सुबेसिंह लावल्द लाऔरत फौत हुआ। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है, जिस हेतु वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् यथा– परिवार राशन कार्ड रणधीर उर्फ [illegible] पुत्र हरदारीलाल निवासी हाडाहेडी, मुण्डावर, मतदाता सूची वर्ष 2014 पंचायत वार्ड 15 ग्राम हाडाहेडी, मृत[illegible] सुबेसिंह पुत्र जगराम की प्रस्तुत प्रतियों के अवलोकन एवं दौरा[illegible] वकील [illegible] द्वारा [illegible] गये अभिकथन के आधार पर इस तनकी को भी यह न्याया[illegible] स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादी सुबेसिंह के हिस्से मे से 1/2 भाग का खातेदार क[illegible]कार की घोषणा कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है, जिस हेतु वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात् के माध्यम से तनकी सं0 1 व 2 को साबित कर दिये जाने एवं स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

4 आया अजीत पुत्र जगराम की फोतगी पर प्रति० सं० 01 ने दीगर व्यक्ति निवासी हाडाहेडी तह० मुण्डावर से पून: विवाह कर लिया था। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है, जिस हेतु वादी द्वारा अन्य दस्तावेजात के साथ साथ परिवार राशन कार्ड रणधीर पुत्र हरद्वारीलाल निवासी हाडाहेडी, मतदाता सूची वर्ष 2014 पंचायत वार्ड 15 ग्राम हाडाहेडी, मृत्यु प्रमाण पत्र अजीत पुत्र जगराम, मृत्यु प्रमाण पत्र सुवेसिंह पुत्र जगराम की छायाप्रतिया पेश की एव मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र वलवान पी०डब्ल्यू 01, मजू पुत्री अजीत पी०डब्ल्यू 02 पेश किये है, जिसके मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त एवं तनकी सं० 1 ल० 3 विरूद्ध प्रतिवादी पाते हुए वहक वादी पाये जाने की स्थिति में इस तनकी का भी यह न्यायालय विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

5 आया वादी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के 1/2 भाग तक हु०ई०दवामी स पावन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है एवं जब तनकी सं० 1 ल० 4 विरूद्ध प्रतिवादी पाते हुए बहक वादी पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय विरूद्ध प्रतिवादीगण वहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

6. आया प्रतिवादी सं० 01 ने अजीत की मृत्यु के वाद सुवेसिंह से नाता कर लिया था, सुवेसिंह व केला देवी के नुत्फे से राजेन्द्र पैदा हुआ है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है तथा प्रतिवादी उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहा है तथा तनकी सं० 1 ल० 5 बहक वादी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय बहक वादी स्वीकार योग्य पाते हुए विरूद्ध प्रतिवादी खारिज योग्य पाता है।

7 अन्य दादरसी

परिणामत: वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अत: उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के हाल ख०नं० 179/0.13, 180/0.10, 115/0.08, 195/0.01, 196/0.27, 333/0.04, 336/0.11, 379/0.13, 432/0.39, 487/0.38, 516/0.25, 636/0.22, 639/0.22, 701/0.14, 74/0.29 है० वाके ग्राम माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज० बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजियात् के 1/3 हिस्से यानि सुवेसिह के 1/3 हिस्से में से 1/2 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त वादी के 1/2 भाग की हद तक प्रतिवादीगण के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त 1/3 हिस्से में से वादी के 1/2 भाग को बैंक ऋण से मुक्त घोषित किया जाता है एवं उक्त ऋण प्रतिवादीगण के उक्तानुसार शेष रहे हिस्से से वसूलनीय रहेगा साथ ही प्रतिवादीगण को हु०ई० दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा न करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:19:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक **14.06.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

14-6-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०